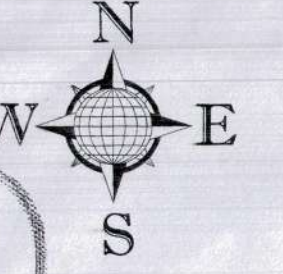


PROPOSED LAY OUT PLAN OF
"RIYASAT TARANG BLOCK-A"
IN KHASRA NO.- 234/213, 235/223.
AT VILLAGE :- JAIPURIYO KA WAS, TEH.:- JAIPUR & JAIPUR.

1140
B
01-8-22



ZDP ROAD 18.0 MT. WIDE

ZDP ROAD 18.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

ZDP ROAD 60.0 MT. WIDE

ROAD 12.0 MT. WIDE

ROAD 9.0 MT. WIDE

खसरा सुपर इम्पोज किया

ज.वि.प्रा.

खसरा मानचित्र

पहुंच मार्ग मानचित्र

दिशा सूचक

महानगर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत भू उपयोग आवासीय भूखण्डों की विनियमन तालिका :-

1	कुल आवासीय भूखण्ड	= 60
2	कुल वाणिज्यिक भूखण्ड	= 04
3	कुल शहरी आवासीय भूखण्ड	= 02

AREA ANALYSIS :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	(%)
1	RESIDENTIAL	10641.56	53.21 %
2	COMMERCIAL	647.55	03.24 %
3	RETAIL	72.00	0.36 %
TOTAL = (1+2+3)		11361.11	56.81 %
4	PARK	1000.10	05.00 %
5	S.W.M.	50.01	0.25 %
6	MOBILE TOWER	20.04	0.10 %
7	PU (TOILET)	10.02	0.05 %
8	ZDP ROAD 18M & 60M	4965.08	24.82 %
9	ROAD	2593.64	12.97 %
TOTAL = (4 TO 10)		8638.90	43.19 %
SCHEME AREA		20000.00	100.00 %
		02.00 HECT.	

योजना की भूमि की समुचित वर्गीकरण की धारा 90 व की कार्यवाही पर नोट पर नोट का उपयोग करके किया गया।
योजना की भूमि की वर्गीकरण के विवरण नीचे दिये हैं।

नाम : जयपुर विकास प्राधिकरण

सहस्रीलदार : जयपुर विकास प्राधिकरण

सी.पी.सी. / जी.एल.सी. की बैठक संख्या : विनियमन की अनुपालना में योजना आन्तरिक विकास कर जारी किया गया।

योजना का नाम :- PROPOSED LAY OUT PLAN OF "RIYASAT TARANG BLOCK-A" IN KHASRA NO.- 234/213, 235/223 AT VILLAGE :- JAIPURIYO KA WAS, TEH.:- JAIPUR & JAIPUR.

जोन संख्या = 12

दिनांक :- 1-5-2022

सहायक नगर नियोजक	अति. सहायक नगर नियोजक	वरिष्ठ नगर नियोजक
------------------	-----------------------	-------------------

जयपुर विकास प्राधिकरण

CONSULTANT :- Cad Max PROJECTS (P) LTD.

उप नगर नियोजक जोन-12

तहसीलदार जोन-12

उपायुक्त जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक बी.पी.सी. (एल.पी.)

योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है।

अमीन
जोन-12

नोट

- कार्नेर के भूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
- आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 10.06.2022 को हो चुकी है।
- योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
- टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा भूखण्ड संख्या 18, 19, 27 व 28 कुल भूखण्ड 4 कुल क्षेत्रफल 1442.27 वर्गमीटर है, जो जयपुरा में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। भूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
- योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 319 वीं बैठक दिनांक 24.06.2022 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
- योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2025 के अन्तर्गत यू-1 (आवासीय) है।
- योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
- बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के भूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सैटबैक्स जयपुरा (जयपुर रीजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

CAD MAX PROJECTS PVT. LTD.
301, Third Floor, Prism Tower,
Front of Police Head Quarters,
Lal Kothi, Tonk Road, JAIPUR
Mobile No. 9829045031